दिनांक 12.06.2025
प्रेस विज्ञप्ति 18/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एस0टी0एफ0–विभिन्न ब्राण्डेड कम्पनियों के नाम से नकली सीमेन्ट बनाने वाले गिरोह के सरगना सहित 03 गिरफ्तार, भारी मात्रा मे नकली सीमेन्ट बरामद।

दिनाकः 11–06–2025 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को विभिन्न ब्राण्डेड कम्पनियों के नाम से नकली सीमेन्ट बनाने वाले गिरोह के सरगना सहित 03 व्यक्तियों को भारी मात्रा में नकली सीमेन्ट के साथ गिरफ्तार करने मे उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः

1– अभिषेक शुक्ल पुत्र नागेन्द्र नाथ शुक्ल निवासी ग्राम व पोस्ट पिछौरा थाना गीडा जनपद गोरखपुर

2– दीनदयाल चौहान पुत्र स्व0 बनवारी लाल चौहान निवासी ग्राम विशुनपुर टोला सप्टहिंआ थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर।

3– रामलवट पुत्र रामज"ा निवासी ग्राम भरपुरवा थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर।

बरामदगीः

1– 257 बोरी नकली अल्ट्राटेक सीमेंट।

2– 212 खाली बोरी अल्ट्राटेक सीमेंट।

3– 60 बोरी अल्ट्राटेक कम्पनी का डैमेज सीमेंट।

4– 01 अदद दुरमुट

5– 01 अदद इलेक्ट्रानिक तौल मषीन(उषा स्केल एसोसिएट)

6– 01 अदद लोहे की कीप।

7– 01 अदद हरे रंग की स्पाराइट की अधकटी प्लास्टिक की बोतल का उपरी भाग।

8– 250 बोरी आधा भरा हुआ डैमेज सीमेंट डालमिया कम्पनी।

9– 01 अदद मोबाइल फोन।

गिरफ्तारी का दिनांक/समय व स्थानः–

दिनांक 11–06–2025, समय 18:23 बजे। ग्राम चनऊ थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर।

विगत दिनों से एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को नकली व फर्जी सीमेन्ट बनाने वाले गिरोह के सम्बन्ध मे सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध मे एसटीएफ की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संलकन हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम मे पुलिस उपाधीक्षक श्री प्रमे"ा कुमार शुक्ल, के पर्यवेक्षण मे एसटीएफ मुख्यालय की टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में ज्ञात हुआ कि विभिन्न ब्राण्डेड कम्पनियों के नाम पर नकली सीमेन्ट बनाने वाले संगठित गिरोह द्वारा ग्राम चनऊ थाना बेलीपार के एक गोदाम में नकली सीमेन्ट बनाने का काम चल रहा है। यहॉ से नकली सीमेन्ट बनाकर जनपद गोरखपुर व आस–पास के जनपदो में सप्लाई किया जाता है। प्राप्त सूचना पर उ0नि0 चन्द्रप्रका"ा मिश्र, मु0आ0 कवीन्द्र साहनी, मु0आ0 बरनाम सिंह, मु0आ0 मृत्युन्जय कुमार सिंह, मु0आ0 य"ावंत कुमार सिंह, आ0 चालक रईस अहमद की टीम द्वारा एसटीएफ टीम गोरखपुर को साथ लेकर उपरोक्त स्थान पर छापा डाला गया जहॉ से भारी मात्रा में विभिन्न ब्राण्डेड कम्पनियों के नकली सीमेन्ट तैयार की जा रही थी, जिस पर एसटीएफ टीम द्वारा मौके से उपरोक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार करते हुए उपरोक्त बरामदगी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि हम लोगों द्वारा यह काम विगत 03 माह से किया जा रहा है। अल्ट्राटेक व डालमिया कम्पनी का डैमेज माल मोतीराम डम्पयार्ड के वेण्डर खान से 200 रूपये प्रति बोरी के हिसाब से मंगवाते है। अल्ट्राटेक कम्पनी की खाली बोरी 14 रूपये प्रति बोरी के हिसाब से साहबगंज मण्डी निवासी केदार नाथ जायसवाल (आदि शक्ति इण्टप्राइजेस) से लेते है। डैमेज माल से सीमेन्ट तैयाकर करके विभिन्न कम्पनियों की बोरियों में भरकर उसे ठेकेदार ि"ावा एसोसिएट पुर्दिलपुर थाना क्षेत्र कोतवाली गोरखपुर व रिलायबल एसोसिएट राम जानकी नगर, थाना गोरखनाथ, जनपद गोरखपुर को 300 रूपये प्रति बोरी के रेट से बेचते है। प्रतिदिन लगभग 200–250 बोरी नकली सीमेन्ट बेचा जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना बेलीपार, जनपद गोरखपुर में मु0अ0सं0 187/2025 धारा 125, 290, 318, 342 बीएनएस एवं 63 कापी राईट एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

एसटीएफ–एटीएम कार्ड बदलकर लाखो रूपये की ठगी करने वाले गैंग के 04 सदस्य मुठभेड़ के उपरान्त गिरफ्तार।

दिनांक 11–06–2025 को एसटीएफ, उ0प्र0 को एटीएम कार्ड बदलकर लाखों रूपये की ठगी करने वाले गिरोह के 04 सदस्यो को थाना क्षेत्र टप्पल, जनपद अलीगढ़ में हुई मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तो का विवरणः–

1– मुस्तकीम उर्फ मोलम पुत्र मोइनुद्दीन निवासी नूरपुर थाना टप्पल जनपद अलीगढ़।

2– आजाद पुत्र अली शेर निवासी घाघोट पलवल, हरियाणा।

3– असलम पुत्र आजम ग्राम घाघोट तहसील पलवल जिला पलवल, हरियाणा।

4– अमन पाल पुत्र पप्पू निवासी ग्राम अटोर नगला गाजियाबाद।

बरामदगी :–

1– 02 अदद देशी तमंचा 315 बोर

2– 04 अदद खोखा कारतूस 315 बोर

3– 04 अदद एटीएम/डेबिट कार्ड

4– 01 अदद एटीएम स्वाईप मशीन

5– 04 अदद मोबाइल फोन

6– 01 अदद मारूति ब्रेजा कार न0–यू0पी0 16 सी0वाई0 5644

7– रूपये 8700/–रूपये नकद

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः

टप्पल–कृपालपुर अंडरपास के पास थाना टप्पल जनपद अलीगढ गिर0 समय 23.50 बजे, दिनांक–11–06–2025

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को एटीएम कार्ड बदलकर लाखो रूपये की ठगी करने वाले गैंग के सक्रिय होने की सूचनाए प्राप्त हो रही थी, इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, आगरा इकाई को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री राकेष, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ फील्ड इकाई, आगरा के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन को विकसित कर कार्यवाही की जा रही थी।

उक्त क्रम में दिनांक 11–06–2025 से एस0टी0एफ0 टीम जनपद अलीगढ में अपराधिक अभिसूचना संकलन के उद्देश्य से भ्रमण"ील थी। इसी दौरान ज्ञात हुआ कि एटीएम बदलकर ठगी करने वाले गैंग के कुछ सदस्य एवं जनपद अलीगढ़ व मथुरा से वांछित पुरस्कार घोषित अभियुक्त थाना टप्पल जनपद अलीगढ क्षेत्र में टप्पल–कृपालपुर अंडरपास के पास में मौजूद है, यदि जल्दी किया जाय तो पकड़े जा सकते है। उक्त सूचना पर मु0आ0 प्रशांत कुमार, मु0आ0 अमित चौहान, मु0आ0 ब्रजराज सिंह, मु0आ0 विवेक कुमार की टीम द्वारा थाना टप्पल जनपद अलीगढ पुलिस को साथ लेकर नोएडा आगरा एक्सप्रेस–वे के सर्विस रोड गॉव टप्पल कृपालपुर अण्डर पास के निकट पहुॅचकर उक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया। जिस अभियुक्तों द्वारा झाड़ियों में छिपकर एसटीएफ टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग शुरू कर दी गयी। एसटीएफ टीम द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गयी जिसमें 02 अभियुक्त घायल हो गये, जिनको प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल ले जाया गया। घायल अभियुक्तों का नाम 1–मुस्तकीम उर्फ मोलम पुत्र मोइनुद्दीन निवासी नूरपुर थाना टप्पल जनपद अलीगढ (थाना टप्पल जनपद अलीगढ से 25000/– व थाना रिफाइनरी जनपद मथुरा से 20000/–रू0 ईनामी) तथा 02– आजाद पुत्र अली शेर निवासी घाघोट पलवल, हरियाणा (थाना रिफाइनरी जनपद मथुरा से 20000/–रू0 का पुरस्कार घोषित) है। इस गिरोह के 02 अन्य सदस्यों को भी मौके से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तो ने पूछताछ पर बताया कि हम लोगों एक गिरोह है, जो लोगों से एटीएम कार्ड बदलकर उनके पैसे निकाल लेता है। इस गिरोह का सरगना मुस्तकीम है। बरामद कार उसी की है। हम लोग व्यक्तियों से धोखे से एटीएम कार्ड बदल लेते है। जिसके बाद स्वाइप मशीन द्वारा एटीएम कार्ड के खाते की सारी धनराशि अन्य खातों में ट्रांसफर कर लिया जाता है, जिसके बाद अलग–अलग जगहो से पैसा निकाल लिया जाता है। अभियुक्त द्वारा अब तक 02 दर्जन से अधिक घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना टप्पल, जनपद अलीगढ में मु0अ0सं0 321/25 धारा 318(4)/109 बीएनएस व 66 आई0टी0 एक्ट व 3/25/27 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तो का ज्ञात अपराधिक इतिहास</u> :–

1–मुस्तकीम उर्फ मोलम पुत्र मोइनुदीन निवासी नूरपुर थाना टप्पल जनपद अलीगढ।

कस0	**मु0अ0स0 / धारा**	**थाना / जनपद**
1	मु0अ0स0 172 / 20 धारा 13 जी एक्ट	टप्पल,अलीगढ
2	मु0अ0स0 219 / 21 धारा 147 / 323 / 504 / 504 भादवि	टप्पल,अलीगढ
3	मु0अ0स0 234 / 21 धारा 120 बी / 147 / 323 / 504 / 506 / 336 / 341 / 427 भादवि व 3(2)5ए एससी एसटी एक्ट	टप्पल,अलीगढ
4	मु0अ0स0 508 / 21 धारा 323 / 307 भादवि व 3(2)5ए एससी एसटी एक्ट	टप्पल,अलीगढ
5	मु0अ0स0 321 / 25 धारा 318(4) / 109 बीएनएस व 66 आई0टी0 एक्ट व 3 / 25 / 27 आर्म्स एक्ट	टप्पल,अलीगढ
6	मु0अ0स0 188 / 24 धारा 3 / 25 / 27 आर्म्स एक्ट	टप्पल,अलीगढ
7	मु0अ0स0 135 / 25 धारा 318(4) बीएनएस	रिफाइनरी मथुरा

2–आजाद पुत्र अली शेर निवासी घाघोट पलवल , हरियाणा।

कस0	**मु0अ0स0 / धारा**	**थाना / जनपद**
1	मु0अ0स0 104 / 17 धारा 406 / 420 / 34 भादवि	मुजेसर फरीदाबाद हरियाणा
2	मु0अ0स0 446 / 23 धारा 174 ए भादवि	मुजेसर फरीदाबाद हरियाणा
3	मु0अ0स0 432 / 15 धारा 420 भादवि	सरायख्वाजा फरीदाबाद
4	मु0अ0स0 321 / 25 धारा 318(4) / 109 बीएनएस व 66 आई0टी0 एक्ट व 3 / 25 / 27 आर्म्स एक्ट	टप्पल,अलीगढ
5	मु0अ0स0 135 / 25 धारा 318(4) बीएनएस	रिफाइनरी मथुरा

3–असलम पुत्र आजम ग्राम घाघोट तहसील पलवल जिला पलवल, हरियाणा।

कस0	**मु0अ0स0 / धारा**	**थाना / जनपद**
1	मु0अ0स0 104 / 17 धारा 406 / 420 / 34 भादवि	मुजेसर फरीदाबाद हरियाणा
2	मु0अ0स0 446 / 23 धारा 174 ए भादवि	मुजेसर फरीदाबाद हरियाणा
3	मु0अ0स0 432 / 15 धारा 420 भादवि	सरायख्वाजा फरीदाबाद
4	मु0अ0स0 321 / 25 धारा 318(4) / 109 बीएनएस व 66 आई0टी0 एक्ट व 3 / 25 / 27 आर्म्स एक्ट	टप्पल,अलीगढ

4–अमन पाल पुत्र पप्पू निवासी ग्राम अटोर नगला गाजियाबाद

कस0	**मु0अ0सं0 / धारा**	**थाना / जनपद**
1	मु0अ0स0 321 / 25 धारा 318(4) / 109 बीएनएस व 66 आई0टी0 एक्ट व 3 / 25 / 27 आर्म्स एक्ट	टप्पल,अलीगढ

जनपद बाराबंकी/थाना सतरिख

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 03 लाख 30 हजार रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 12.06.2025 को थाना सतरिख व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शेखपुर लखैचा रोड सतरिख के पास से 02 अभियुक्तों 1–कल्याण 2–अभियुक्ता को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 03 लाख 30 हजार रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 07.06.2025 को थाना क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सतरिख पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना सतरिख पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–कल्याण निवासी ग्राम बखारी थाना बीबीडी कमिश्नरेट लखनऊ।

2–अभियुक्ता।

बरामदगी

1–लूट के 03 लाख 30 हजार रूपये नगद।

2–01 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस।

3–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद बागपत/थाना सिंघावली अहीर

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 11.06.2025 की रात्रि थाना सिंघावली अहीर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर डौला–खट्टा नहर पटरी पर पुलिस कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त आमिर घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)
01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना सिंघावली अहीर पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आमिर निवासी ग्राम गौसपुर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

बरामदगी

1–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

2–01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद शाहजहॉपुर/थाना अल्हागंज

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 किलो 570 ग्राम अवैध अफीम**
- **01 मोबाइल फोन आदि बरामद**

दिनॉकः 11.06.2025 की रात्रि थाना अल्हागंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से अभियुक्त सत्य नरायन कुमार को

गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 किलो 570 ग्राम अवैध अफीम, 01 मोबाइल फोन आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना अल्हागंज पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सत्य नरायन कुमार निवासी ग्राम भदुआ थाना गढवा जनपद गढवा, झारखण्ड।

बरामदगी

1–01 किलो 570 ग्राम अवैध अफीम।

2–01 मोबाइल फोन आदि।

कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना इन्दिरापुरम

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 11 दो पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 11.06.2025 को थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कनावनी पुलिया के पास से 05 अभियुक्तों 1–रोहित 2–सागर 3–आशु 4–आकाश उर्फ कल्लू 5–नीरज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 11 दो पहिया वाहन आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रोहित निवासी ग्राम सूजरा थाना कोतवाली जनपद बागपत।

2–सागर निवासी छिजारसी सेक्टर 63 नोएडा मूलपता ग्राम मोहाना जनपद भिंड म0प्र0।

3–आशु निवासी छिजारसी कॉलोनी थाना सेक्टर 63 नोएडा मूलपता ग्राम सैदपुर थाना भोजपुर कमिश्नरेट गाजियाबाद।

4–आकाश उर्फ कल्लू निवासी छिजारसी कॉलोनी थाना सेक्टर 63 नोएडा मूलपता ग्राम वाधी थाना कोतवाली जनपद बागपत।

5—नीरज निवासी मोहनपुरी थाना सिविल लाइन जनपद मेरठ।

बरामदगी

1—चोरी के 11 दो पहिया वाहन आदि।

- **जनपद अमेठी/थाना जामो (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 50—50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अमेठी द्वारा थाना जामो पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1—नसीम 2—वसीम 3—रामचन्द्र 4—गोलू उर्फ अतुल को आजीवन कारावास व 50—50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बांदा/थाना बदौसा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 10—10 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बांदा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बांदा द्वारा थाना बदौसा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1—छेदीलाल 2—खुशीलाल उर्फ आनन्द 3—लालजी उर्फ जयनारायण को सश्रम आजीवन कारावास व 10—10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद फिरोजाबाद/थाना दक्षिण (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 55 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद फिरोजाबाद पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फिरोजाबाद द्वारा थाना दक्षिण पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त विजय उर्फ कल्लू उर्फ बल्लू को आजीवन कारावास व 55 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद औरैया/थाना दिबियापुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 45 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद औरैया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद औरैया द्वारा थाना दिबियापुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376 भादवि सपठित धारा 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट व धारा 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त दीपू उर्फ लल्ला को सश्रम आजीवन कारावास व 45 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

दिनांक 12.06.2025
प्रेस विज्ञप्ति 19 / 2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेशज्ञं

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 से पुलिस महानिरीक्षक (Eastern Frontier) आई0टी0बी0पी0 द्वारा शिष्टाचार भेंट

आज दिनांक 12.06.2025 को **श्री राजीव कृष्ण** पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 से पुलिस मुख्यालय लखनऊ में श्री संजय गुंज्याल पुलिस महानिरीक्षक (Eastern Frontier) आई0टी0बी0पी0 द्वारा शिष्टाचार भेंट कर शुभकामनाएं दी गयी तथा प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया।

शिष्टाचार भेंट के दौरान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 एवं पुलिस महानिरीक्षक आई0टी0बी0पी0 द्वारा सामरिक महत्व के मुद्दों पर चर्चा की गयी।

उत्तर
प्रदेश